न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 695/2025
आदेश

04.05.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त संजीत कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 329(3), 329(4), 74 के अधीन दर्ज नासरीगंज थाना कांड सं0 369/2025 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार सिन्हा को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका फुलेहा कुमारी दिनांक 22.10.2025 की रात्रि लगभग 1.00 बजे अपने घर में अकेली थी। उसी दौरान अभियुक्त संजीत कुमार चोरी एवं इज्जत भंग करने की नीयत से उसके घर में घुस आया। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा सूचिका के साथ मारपीट किया गया तथा अभियुक्त ने सूचिका के कान का वाली एवं सिकड़ी निकाल लिया तथा 15,000/–रुपया नगद छीन लिया। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने अभियुक्त को पकड़ लिया।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में गांव की गंदी राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की कहानी झूठा एवं मनगढ़ंत है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई बाह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे सूचिका की मर्यादा भंग करने के आशय का प्रमाण मिलता हो तथा सूचिका ने अपने लिखित आवेदक में आवेदक अभियुक्त द्वारा स्त्री लज्जा भंग करने से संबंधित किसी कृत का उल्लेख नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वाद का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा

लगातार
04.05.2026

आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा इस वाद का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के कथनों एवं आवेदक अभियुक्त के स्वच्छ पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाता हैं कि यदि आवेदक अभियुक्त को आदेश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के अंदर गिरफ्तार किया जाता है या वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, तो वैसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त की ओर से 7000/–रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– 482(2) के शर्तो के अधीन रहते हुए, बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उसे अग्रिम जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।